By- email/hand

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

कार्यालय आदेश

संचिका सं०–8 / व3–44 / 08 अंश–1 1888 /   पटना, दिनाक 12/07/13

विषयः–बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के जिला तथा प्रखंड स्तर के कर्मियों के नियोजन सेवा शर्त, उनका दायित्व, अनुबंध मुक्ति प्रक्रिया एवं अपीलीय प्राधिकार से संबंधित अनुदेश।

बिहार राज्य मध्याहन भोजन योजना समिति के जिला तथा प्रखंड स्तर के कर्मियों यथा जिला समन्वयक, जिला साधन सेवी, लेखापाल / लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, Executive Assistant एवं प्रखंड साधन सेवी का चयन, अवधि विस्तार एवं संविदा रद्द करने की प्रक्रिया के संबंध में निदेशालय के पत्रांक 5021 दिनांक 13.04.2011 द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया गया था। पुनः विभिन्न मसलों के समाधान के लिए समय–समय पर अलग–अलग पत्र निर्गत कर आवश्यकतानुसार निदेश प्रेषित किये गये हैं। ऐसे सभी विषयों को समाहित करते हुए नये प्रावधानों सहित एक समेकित अनुदेश की आवश्यकता महसूस की गई है जो निम्नवत है:–

2. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के जिला कार्यालय एवं प्रखंड स्तर पर पदों की संख्या निम्नवत हैं:–

<u>जिला स्तर पर</u>

(i) जिला समन्वयक –01 पद

(नोटः जिला समन्वयक के त्याग पत्र के उपरान्त यह पद स्वतः समाप्त माना जाएगा)।

(ii) लेखापाल / लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर –01 पद

(नोटः–लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के त्याग पत्र के उपरान्त यह पद लेखापाल के पद के रूप में परिणत हो जाएगा)।

(iii) जिला साधन सेवी –02 पद

(iv) Executive Assistant – 01 पद

प्रखंड स्तर पर

(v) प्रखंड साधन सेवी– प्रत्येक प्रखंड के लिए – 01 पद

3. जिला समन्वयक, जिला साधन सेवी, लेखापाल / लेखापाल–सह–डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, Executive Assistant, प्रखंड साधन सेवी के चयन, अवधि विस्तार एवं उन्हें चयन मुक्त करने हेतु जिला स्तर पर पत्रांक 1330 दिनांक 17.08.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में चयन–सह–अवधि विस्तार समिति का गठन किया गया है जो अब जिला स्तरीय समिति कहलाएगा। उक्त समिति की संरचना निम्नवत् होगी :–

(i)	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(ii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य

(iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना — सदस्य

(iv) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक पदाधिकारी — सदस्य
(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)

(v) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना — सदस्य सचिव

नोट–जिला स्तरीय उक्त समिति द्वारा समय–समय पर निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा आवंटित कार्य सम्पादित किया जा सकेगा।

4. उक्त कंडिका–02 में अंकित कर्मियों की निर्धारित योग्यता, मानदेय एवं दायित्व निम्नवत हैं :–

क्रम सं०	पद का नाम	योग्यता	मासिक मानदेय	उम्र	दायित्व
I	जिला समन्वयक	इस पद पर नवीन नियुक्ति नहीं की जाएगी बल्कि त्याग पत्र अथवा अन्य किन्हीं कारणों से यह पद रिक्त होने के उपरान्त स्वतः समाप्त माना जाएगा।	11000	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा मान्य होग।	(i) मध्याह्न भोजन योजना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से संचालित बच्चों के पोषाहार से संबंधित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसकी निरन्तरता तथा सफलता विद्यालय से जिला स्तर तक प्रधानाध्यापकों/ शिक्षकों /प्रखंड साधन सेवी/माता समिति / अभिभावकों/विद्यालय शिक्षा समिति के साथ उचित समन्वय स्थापित कर ही सुनिश्चित की जा सकती है। (ii) अतः उक्त किसी स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में समन्वय एवं संवादहीनता के कारण यदि मध्याह्न भोजन योजना अवरूद्ध है तो जिला समन्वयक उनसे समन्वय तथा संवाद स्थापित कर मध्याह्न भोजन का शत प्रतिशत निर्बाध संचालन सुनिश्चित करेगें। (iii) इसके अलावे जिला समन्वयक नियमित रूप से दोपहर (IVRS) तथा मासिक MIS का अवलोकन करेगें तथा जिन विद्यालयों में किसी कारण से मध्याह्न भोजन बंद है तो उसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुये उनकी सहायता से मध्याह्न भोजन का संचालन प्रारंभ सुनिश्चित करेगें। (IV) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को भेजे जाने वाली अपेक्षित सूचनाएँ तथा नियमित प्रतिवेदन तैयार करने में जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सहयोग करना। (v) इसके अलावे जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य तथा निदेश का अनुपालन करेगें।
II	लेखापाल (जिला समिति कार्यालय के लिये जहाँ लेखापाल –सह– डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण या अन्य कारण से यह पद समाप्त हो गया है)।	बी० कॉम० न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण एवं वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा संधारण में किसी सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी संस्था जिसका वार्षिक आय–व्यय कम से कम 50 लाख रू० हो, में न्यूनतम चार वर्षों तक कार्य करने का अनुभव वांछित योग्यता– सी० ए० इन्टर को प्राथमिकता दी जाएगी।	10000	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा मान्य।	(i) जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय का वित्तीय प्रबंधन करना। (ii) जिला मध्याह्न भोजन योजना कार्यालय से संबंधित रोकड़ पंजी, बैंक खाता, चेक बुक, बिल बुक, आकस्मिक पंजी आदि का रख–रखाव एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। (iii) मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित वार्षिक बजट तैयार करना तथा राज्य मुख्यालय से समय–समय पर माँगी जाने वाली वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदनों को तैयार कर उपलब्ध कराना। उक्त अतिरिक्त जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा समय–समय पर आवंटित कार्य को सम्पन्न करना।
III	Executive Assistant (समिति के जिला कार्यालय के लिये)	जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, जिला पदाधिकारी से अनुरोध कर जिला स्तर पर Executive Assistant की मान्य प्रतीक्षा सूची से	7000	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम	(i) जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित सभी प्रकार के पत्र एवं प्रतिवेदनों को टंकित करना। (ii) जिला के मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित सभी प्रकार के आँकड़ों को डाटा बेस में संधारित करना तथा अद्यतन रखना। (iii) जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा समय–समय पर आवंटित कार्य तथा निदेश का अनुपालन करना।

		योग्य Executive Assistant प्राप्त करेगें।		उम्र सीमा मान्य।	
IV	जिला/ प्रखंड साधन सेवी	अनिवार्य योग्यताः 1. इन्टर की डिग्री। 2. स्थानीय निवासी। 3. सईकिल चलाने की जानकारी। वांछित योग्यता:– 1. शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई कार्य किया हो तो उसका अनुभव। 2. कम्प्यूटर संचालन की जानकारी।	6000	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा मान्य।	<u>जिला साधन सेवी</u> (i) मध्याह्न भोजन योजना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से संचालित बच्चों के पोषाहार से संबंधित एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसकी निरन्तरता तथा सफलता विद्यालय से जिला स्तर तक प्रधानाध्यापकों/ शिक्षकों/प्रखंड साधन सेवी/माता समिति /अभिभावकों/विद्यालय शिक्षा समिति के साथ उचित समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित की जा सकती है। (ii) अतः उक्त किसी स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में समन्वय एवं संवादहीनता के कारण यदि मध्याह्न भोजन योजना अवरूद्ध है तो जिला समन्वयक उनसे समन्वय तथा संवाद स्थापित कर मध्याह्न भोजन का शत प्रतिशत निर्बाध संचालन सुनिश्चित करेगें। (iii) इसके अलावे जिला समन्यक नियमित रूप से दोपहर (IVRS) तथा मासिक MIS का अवलोकन करेगें तथा जिन विद्यालयों में किसी भी कारण से मध्याह्न भोजन बंद उसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुये उनकी सहायता से मध्याह्न भोजन का संचालन प्रारंभ करना। (IV) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को भेजे जाने वाली अपेक्षित सूचनाएँ तथा नियमित प्रतिवेदन तैयार करने में जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को सहयोग करेगें। (v) इसके अलावे जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा समय समय पर आवंटित कार्य तथा निदेश का अनुपालन करेगें। <u>प्रखंड साधन सेवी</u> (i) प्रखंड साधन सेवी तथा संवेदक संयुक्त रूप से उपावंटन निर्गत आदेश (SIO) के आधार पर राज्य खाद्य निगम से खाद्यान्न का उठाव करेगें तथा वितरण सूची के अनुसार प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में उठाव के दिन ही खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करेगें। (ii) इसके अलावे प्रखंड साधन सेवी माह में एक बार प्रत्येक विद्यालय का भ्रमण करेगें तथा विद्यालय से संबंधित आँकड़ों तथा विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना की अद्यतन स्थिति से जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को अवगत करायेंगे ताकि प्रखंड के सभी विद्यालयों में खाद्यान्न तथा परिवर्तन मूल्य की राशि का एक माह के लिये Buffer Stock सुनिश्चित किया जा सके। (iii) प्रत्येक माह के 10 तारीख तक मासिक MIS में विद्यालय से संबंधित सभी प्रकार के वांछित आँकड़ों की प्रविष्टि करेगें। (iv) उक्त प्रविष्टि के लिये प्रत्येक साधन सेवी को प्रति विद्यालय प्रतिमाह 16 रू० की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा। उक्त प्रविष्टि यदि माह के दिनांक 11 से 12 तारीख के बीच किया जाता है तो उक्त प्रविष्टि के लिये कोई राशि देय नहीं होगा। यदि उक्त प्रविष्टि माह के 12 तारीख के बाद किया जाता है या नहीं किया जाता है तो उक्त प्रविष्टि ससमय नहीं करने के लिये प्रतिमाह प्रतिविद्यालय दण्ड स्वरूप प्रखंड साधन सेवी के मानदेय से 32 रू० की दर से कटौती कर ली जाएगी। (v) वर्ष में दो बार प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति का आयोजन करना। (vi) दोपहर (IVRS) का प्रतिदिन अवलोकन करना तथा जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याहन भोजन योजना को मध्याह्न भोजन संचालित नहीं करने तथा दोपहर से प्रतिक्रिया नहीं करने वाले विद्यालयों के संबंध में सप्ताहिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। (vii) कोई विद्यालय जहाँ मध्याह्न भोजन बंद है तथा प्रखंड साधन सेवी के आदेश के तीन दिनों के अन्दर वहाँ मध्याह्न भोजन का संचालन प्रारंभ नहीं होता है तो चौथे दिन प्रखंड साधन सेवी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना को इसकी सूचना देगें।

5. चयन:–

(i) कंडिका–02 में अंकित कर्मियों का चयन संविदा के आधार पर 11 माह के लिये कंडिका–03 में अंकित जिला स्तरीय समिति के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से की जाएगी।

(ii) किन्तु अनुबंध के आधार पर चयन पूर्णतः औपबंधिक होगा तथा इस आधार पर किसी प्रकार की सरकारी सेवा का दावा या इस तरह का अन्य कोई दावा मान्य नहीं होगा।

6. नियोक्ता पदाधिकारीः–

कंडिका–03 में अंकित समिति द्वारा कंडिका–02 में अंकित कर्मियों के चयन के उपरान्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा चयनित कर्मियों से एकरारनामा करा कर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना कंडिका–02 में अंकित कर्मियों के नियुक्ति पदाधिकारी होगें।

7. अनुबंध विस्तारः–

(i) चूँकि यह कार्यक्रम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार संचालित है तथा यह स्कूली बच्चों के पोषण से संबंधित है, ऐसी आशा की जाती है कि यह कार्यक्रम भविष्य में भी संचालित होता रहेगा। अतः उपर्युक्त पदों पर अनुबंधित कर्मियों का अवधि विस्तार प्रत्येक नवीन वित्तीय वर्ष के लिये तीन दिनों का अन्तराल देते हुए उक्त कंडिका–03 में प्रावधानित जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा कर्मी के गत वर्ष के कार्य एवं शुचिता से संतुष्ट होने के उपरान्त किया जाएगा। किन्तु जिन कर्मियों का कार्य संतोषजनक नहीं है उन्हें अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा तथा उनकी जगह योग्य व्यक्ति को नियोजित किया जाएगा।

(ii) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अन्तर्गत जिला स्तरीय एवं प्रखंड स्तरीय नियोजित कर्मियों के अनुबंध–विस्तार में कई प्रकार की विसंगतियों के निवारणार्थ निम्न समय सारिणी में प्रक्रियाएँ पूर्ण किया जाना अपेक्षित होगा। (क) ऐसे सभी कर्मियों का वार्षिक कार्यकलाप प्रतिवेदन प्रतिवर्ष दिनांक 20 वीं अप्रैल तक प्राप्त कर लिया जाए।

(ख) 21 वीं अप्रैल से 15 वीं मई के बीच इनपर जिला अनुबंध विस्तार समिति का निर्णय प्राप्त कर लिया जाय।

(ग) 15 वीं मई से 20 वीं जून तक रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन निकालकर विधिवत चयन–पूर्ण किया जाय, तथा

(घ) 30 वीं जून को इस प्रकार से अवधि विस्तार योग्य एवं नवचयनित कर्मियों को नियोजन–पत्र प्राप्त करा दिया जाय।

(iii) जिन कर्मियों को अवधि विस्तार दिया जाना है उन कर्मियों के अवधि विस्तार हेतु सभी प्रक्रियाएँ प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा तथा जिन कर्मियों को अवधि विस्तार नहीं दिया जाना है उन कर्मियों की जगह नवीन कर्मियों के चयन हेतु सभी विहित प्रक्रियाएँ प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह मे प्रारंभ कर 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि किसी भी परिस्थिति में कर्मियों के अभाव में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

8. दंड प्रावधानः–

(i) मध्याह्न भोजन योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं महत्वपूर्ण योजना है। बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति अन्तर्गत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों से मिशन मोड में कार्य करने की अपेक्षा होती है। कर्त्तव्यों में लापरवाही तथा शिथिलता, अनुशासनहीनता, वरीय पदाधिकारियों के निदेशों की अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता बरतने वाले कर्मियों के विरूद्ध वैधानिक एवं आर्थिक कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) दंड स्वरूप एक मुश्त 10 प्रतिशत तक मानदेय में कटौती जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा तथा एक मुश्त 20 प्रतिशत तक मानदेय में कटौती जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

(iii) दंड स्वरूप निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा जिला स्तरीय किसी भी कर्मी के मानदेय में एक मुश्त 20 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है।

09. अनुबंध रद्द किया जानाः–

(i) कार्य संतोषजनक नहीं रहने अथवा चारित्रिक दोष प्रकट होने पर कंडिका–02 में अंकित कर्मियों का जिला स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त नियत अवधि के पूर्व भी संविदा रद्द किया जा सकेगा।

(ii) किन्तु संविदा रद्द करने अथवा चयन मुक्त करने से पूर्व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछ कर उनके पक्ष से अवगत होगें तथा स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने पर अपने मंतव्य के साथ उनके स्पष्टीकरण को जिला स्तरीय चयन–सह–अवधि विस्तार समिति के समक्ष उपस्थापित करेगें। तदोपरान्त जिला स्तरीय चयन–सह–अवधि विस्तार समिति द्वारा उन्हें चयन मुक्त अथवा संविदा मुक्त करने पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(iii) किन्तु निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के पास प्रत्येक परिस्थिति में जब किसी कर्मी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अक्षमता, अनुशासनहीनता, चारित्रिक पतन इत्यादि सम्बन्धी शिकायत प्रमाणित होने की गुंजाइश हो, सम्बन्धित कर्मी से स्पष्टीकरण पूछने के उपरान्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने पर उसे सीधे चयन मुक्त एवं संविदा मुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

10. स्थानान्तरणः–

(i) उक्त कंडिका–02 में अंकित जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवियों का स्थानान्तरण जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) किन्तु यदि एक वर्ष के पूर्व प्रशासनिक दृष्टिकोण से या अन्य किन्हीं कारणों से इनका स्थानान्तरण किया जाना अपेक्षित हो तो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा स्थानान्तरण संबंधी प्रस्ताव जिला स्तरीय चयन–सह–अवधि विस्तार समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा तथा उक्त प्रस्ताव पर उक्त समिति से अनुमोदन के उपरान्त स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(iii) जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी समकक्ष पद हैं। अतः प्रखंड साधन सेवी का पदस्थापन जब समिति के जिला कार्यालय में होता है तो वे जिला साधन सेवी कहलाते हैं तथा जब जिला साधन सेवी प्रखंड में पदस्थापित होते हैं तो वे प्रखंड साधन सेवी कहलाते हैं। अतः जिला साधन सेवी का प्रखंड में तथा प्रखंड साधन सेवी का जिला में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है।

11. रोस्टरः–

(i) बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के उक्त कंडिका–03 में अंकित कर्मियों के चयन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित रोस्टर संबंधी अद्यतन नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

(ii) जिला पदाधिकारी उक्त पदों के लिये रोस्टर अनुमोदन करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे। (कार्मिक विभाग के संकल्प सं० 716 दिनांक 15.12.1982 द्रष्टव्य)।

12. परिलब्धियाँ :–

(i) अनुबंध में अंकित शर्तों के अनुरूप विभिन्न पदधारकों (कंडिका 02 पर अंकित) को नियत मानदेय का भुगतान देय होगा।

(ii) कंडिका–02 में अंकित Executive Assistant के संबंध में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा समय समय पर संशोधित मानदेय देय होगा।

(iii) कंडिका–02 में अंकित अन्य कर्मियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में आवश्यकतानुसार बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जाएगा।

13. छुट्टीः– उक्त कंडिका–02 में अंकित कर्मियों को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की छुट्टी नियमावली के अनुरूप सभी प्रकार का अवकाश देय होगा।

14. यात्रा भत्ताः– उक्त कंडिका–02 में अंकित कर्मियों को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के यात्रा भत्ता नियमावली के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

15. अपीलीय प्राधिकारः–

(i) कंडिका–03 में अंकित समिति द्वारा किये गये चयन/अवधि विस्तार/चयन मुक्त किये जाने के निर्णय के विरूद्ध यदि किसी को आपत्ति हो, तो संबंधित व्यक्ति ऐसा निर्णय लिये जाने के एक माह के अन्दर निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना–सह–सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

(ii) निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति द्वारा उक्त कंडिका–02 में अंकित कर्मियों के विरूद्ध चयन मुक्त अथवा संविदा मुक्त करने संबंधी निर्णय के विरूद्ध निर्णय लिये जाने के एक माह के अन्दर सचिव, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

(iii) अपीलीय प्राधिकार दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुण–दोष के आधार पर निर्णय पारित करेंगे।

16. उपर्युक्त के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश उक्त हद तक संशोधित समझें जाएँगें।

17. बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की कार्यकारिणी की दिनांक 19.12.12 की बैठक में अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

ह० 11.7.

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1888/ दिनांक 12/07/13

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1888/ दिनांक 12/07/13

प्रतिलिपि : आप्त सचिव, माननीय शिक्षा मंत्री/सचिव, प्राथमिक शिक्षा/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।